संख्या-182/2016/993/22-2-2016-17(37)/2014

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जलील पुत्र श्री गुलाम नवी, निवासी-जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17010/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/19-05-2016 दिनांक 01-06-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जलील पुत्र श्री गुलाम नवी, निवासी-कमालपुर, थाना-पचदेवरा, जिला-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जुआ पकडवाने की रंजिश को लेकर दिनांक 18-07-1984 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व राइफल से 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-188/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पंचम, हरदोई द्वारा दिनांक 24-03-1987 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का 01 सहअभियुक्त अपील विचारण के दौरान मृत्यु हो गयी। 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.05.2016 तक 08 वर्ष 09 माह 00 दिन की अपरिहार एवं 11 वर्ष 08 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किया गया अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, समाज में भय पैदा करने वाला अपराध है, रिहा होने पर अपराध कर सकता है तथा बन्दी के साथ भी घटना घटित हो सकती है, के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जलील (बन्दी संख्या-22199) पुत्र श्री गुलाम नवी, निवासी जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-182/2016/993/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in